अध्याय : 4

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन को एक संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ है जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । सैद्धांतिक रूप से महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण प्रावधान माना जाता है किन्तु कई अध्ययनों में यह पाया गया कि पित्रसत्तात्मक समाज की प्रवृत्तियाँ महिलाओं की इस स्थानीय राजनैतिक भागीदारी में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं । प्रस्तुत शोध प्रबंध स्थानीय नगरीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली बाधाओं का अध्ययन है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के लिए आगरा की नगर निगम संस्था को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया। आगरा नगर - निगम में कुल 90 वार्ड हैं ; जिनमें से सिर्फ 33 वार्ड में महिला पार्षद हैं । 3 महिला पार्षदों की अनुपस्थिति अथवा अनुपलब्धता के कारण सिर्फ 30 महिला पार्षदों से ही आंकड़े एकत्रित किये जा सके । आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली अनुसूची एवं साक्षात्कार का प्रयोग किया गया । अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :-

महिला पार्षदों के आयु वर्ग से सम्बंधित आंकड़े एकत्रित किये गए तो पाया गया की 66.7 %या 30 में से 20 महिला पार्षद 31 से 50 तक के आयु वर्ग की हैं एवं इसके साथ ही यदि हम उनके राजनीतिक क्षेत्र से जुडाव की अवधि आंकड़े देखते हैं तो 60 % अथवा 18 महिला पार्षद हैं जो राजनीति में पहली बार आई हैं एवं साक्षात्कार के दौरान अधिकाँश महिला पार्षदों ने यह कहा है कि क्षेत्र में महिला सीट का आना उनके राजनीति में आने का प्रमुख कारण रहा है । प्रस्तुत आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते है कि 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है ।

यदि महिला प्रतिनिधियों के शैक्षणिक स्तर सम्बंधित आंकड़ों पर प्रकाश डालें तो 93.3% महिला प्रतिनिधि शिक्षित हैं परन्तु अधिकांश महिला प्रतिनिधियों की शिक्षा सिर्फ 12 वीं तक ही हो सकी है सिर्फ 30% महिला प्रतिनिधि हैं जो स्नातक एवं उससे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और यदि हम महिला प्रतिनिधियों के पतियों की शैक्षणिक स्थिति देखते हैं तो 97.7 % महिला प्रतिनिधियों के पति शिक्षित हैं एवं अधिकाँश महिला प्रतिनिधियों के पति स्नातक एवं उससे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं । साक्षात्कार के समय महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार भी किया कि शिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारक है जो उनके प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है एवं जब महिला प्रतिनिधियों से पूछा गया कि उनके अनुसार किस स्तर की शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए तो उनका कहना था कि कम से कम स्नातक तक कि शिक्षा तो होना आवश्यक है । जब महिला प्रतिनिधियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या आपने अनुभव किया है की आपका शैक्षणिक स्तर आपके कार्य करने में समस्या उत्पन्न करता है तो 6.7% महिला प्रतिनिधियों स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया कि उनके शैक्षणिक स्तर के कारण उन्हें कार्यों को करने में समस्या होती है

एवं 56.7 % महिला प्रतिनिधियों के कार्य उनके रिश्तेदारों द्वारा किये जाते हैं इसलिए उन्हें विषय का अनुभव ही नहीं है कि शैक्षणिक स्तर के कारण कार्यों को करने में समस्या होती है अथवा नहीं ।

जब महिला पार्षदों से प्रश्न किया गया की क्या उनके पति राजनीतिक क्षेत्र में हैं; तो 30 में से 22 महिला पार्षदों ने इस तथ्य को स्वीकृत किया और जब पूछा गया कि क्या परिवार का अन्य कोई सदस्य राजनीति क्षेत्र से सम्बंधित है; तो 16 महिला पार्षदों ने स्वीकार किया कि पति के आलावा भी परिवार के सदस्यों का राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव है और जब ससुराल के सदस्यों का राजनीतिक सम्बन्ध पूछा गया तो 23 महिला पार्षदों ने स्वीकार किया मायके पक्ष के राजनीतिक जुडाव से सम्बंधित आंकड़े एकत्रित किये गए तो सिर्फ 7 महिला पार्षदों ने स्वीकृति दी। अधिकतर महिला पार्षद अपने पति अथवा ससुराल पक्ष के किसी अन्य सदस्य के राजनीतिक जीवन से जुड़े होने के कारण राजनीति में आयी हैं । साक्षात्कार के दौरान भी अधिकतर महिला पार्षदों ने स्वीकृत किया कि उन्हें राजनीतिक क्षेत्र का ना ज्ञान है ना ही अनुभव इसीलिए वो राजनीतिक क्षेत्र में आने से परहेज करती हैं ।

जब महिला प्रतिनिधियों से पूछा गया कि क्या उनके क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय उनके पति या परिवार के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 30 में से 19 महिला पार्षदों के क्षेत्र सम्बंधित निर्णय उनके पति अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाते हैं एवं 2 महिला पार्षदों ने इस संबंध में कुछ भी कहने से मना किया । प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि विधिक रूप से महिलाओं को आरक्षण मिलने से नगरीय स्थानीय स्वशासन में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है परन्तु व्यवहारिक स्तर पर वर्तमान में भी उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर नहीं दिया जाता है ।

“प्रस्तुत आंकडे यह दर्शाते हैं कि 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों के लिए विधिक रूप से 33 % आरक्षण की व्यवस्था होने के पश्चात महिला प्रतिनिधियों की संख्या में तो वृद्धि हुई है, परन्तु यथार्थ रूप में व्यवहारिक अथवा गुणात्मक स्तर पर इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है ।

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 30 में से 6 महिला पार्षदों ने स्वीकार किया कि उन्हें घर और राजनीति के मध्य सामजंस्य बिठाने में समस्या होती है एवं साक्षात्कार के दौरान अधिकाँश महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि उनके राजनैतिक कार्य पति या अन्य रिश्तेदार सँभालते हैं । इसलिए वो इस क्षेत्र में कार्य करते हुए होने वाली समस्या का अनुभव भी नहीं कर पाती हैं। अतः यदि तथ्यों पर प्रकाश डालें तो महिला प्रतिनिधियों की मुख्य समस्या यह भी है कि उन्हें उनके आधिकारिक कार्य करने का अवसर ही नहीं दिया जाता एवं अवसर के अभाव में उन्हें राजनीतिक क्षेत्र का अनुभव नहीं हो पाता । प्रस्तुत आंकड़ों से प्रदर्शित होता है कि अनुभव की कमी एवं राजनीतिक कार्यों को करने के स्वतंत्र अवसर के अभाव के कारण महिला प्रतिनिधियों में राजनीतिक अभिवृत्ति एवं अभिरुचि की कमी होती है ।

जब महिला पार्षदों से प्रश्न किया गया कि यदि घर एवं राजनीतिक कार्यों में सामंजस्य बिठाने में समस्या हुई तो वे घरेलु कार्यों को प्राथमिकता देंगी अथवा राजनीतिक कार्यों को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 महिला पार्षदों ने स्वीकार किया कि वे ऐसे में घरेलु कार्यों को प्राथमिकता देंगी एवं 18 महिला पार्षदों ने स्वीकार किया कि वे राजनीतिक कार्यों को प्राथमिकता देंगी एवं 9 महिला प्रतिनिधियों ने दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया। प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि महिला पार्षदों के निगम सम्बन्धी कार्य भी उनके पति अथवा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किये जाते हैं ।

साक्षात्कार के समय जब महिला पार्षदों से पूछा गया कि क्या उनके पति या परिवार का कोई अन्य सदस्य उनके आधिकारिक कार्य करता है या वो स्वयं करती हैं । 86.7% उत्तरदाताओं का कहना था कि उनके आधिकारिक कार्य उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य करते हैं । प्राप्त आंकडे यह दर्शाते हैं कि अधिकाँश महिला पार्षदों के अधिकारिक कार्य अथवा वह कार्य जिनके लिए उन्हें पार्षद पद पर निर्वाचित किया गया है महिला प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों द्वारा किये जाते हैं क्योंकि महिला पार्षदों को इस क्षेत्र में कार्य करने के बारे में ज्ञान एवं अनुभव नहीं है परन्तु यदि तात्विक एवं यथार्थ रूप में रूप से स्थानीय राजनीति महिलाओं की भूमिका बनानी है तो आवश्यक है कि महिला प्रतिनिधियों को इस क्षेत्र में स्वयं कार्य करने का अवसर दिया जाये न की उनके कार्य पति अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाए और एक क्षेत्र में कम से कम दो बार के निर्वाचन में सीट आरक्षित रहे इससे यह लाभ होगा कि महिला प्रतिनिधि को इस क्षेत्र में कार्य करने का अधिक अवसर मिलेगा तो वे आधिकारिक एवम क्षेत्र सम्बन्धी कार्यों को स्वयं कर सकेंगी ।

जब महिला पार्षदों से यह प्रश्न किया गया कि उन्हें अपने विधि द्वारा प्रदत्त पार्षद पद के अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान है तो 83.3 % महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान है परन्तु प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 16.7 % महिलाओं ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें जिस पद के लिए चयनित किया गया हैं उस पद से सम्बंधित विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। गौरतलब है की जब महिला पार्षदों को अपने पद से सम्बंधित अधिकारों एवं कर्तव्यों की ही जानकारी नहीं है तो वे अपने कार्यो को किस प्रकार परिपूर्ण कर सकती हैं । इसीलिए यह भी आवश्यक तथ्य है कि जब प्रतिनिधियों को पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया जाए तो उन्हें उस पद से सम्बंधित अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी जाए एवं पार्षद पद के कार्य करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए । जिससे महिला पार्षदों में अपने पद से संबंधित कार्य स्वयं करने की इच्छा शक्ति जाग्रत हो सके एवं उनका आत्मविश्वास भी जाग्रत हो सके ; क्योंकि क्षेत्र आवलोकन के दौरान जब शोधार्थी ने महिला पार्षदों का साक्षात्कार किया तो महिलाओं प्रतिनिधियों में आत्मविश्वास का भी अभाव पाया गया ।

महिला प्रतिनिधियों से जब यह प्रश्न किया गया कि महिला होने के कारण कार्य स्थल पर उन्हें किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार अथवा भेदभाव का सामना करना पड़ता है 16.7% महिला पार्षदों ने स्वीकार किया

कि कार्यस्थल पर उन्हें भेदभाव एवं दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है उनका कहना था कि जब भी वो अपने क्षेत्र सम्बन्धी कार्य जैसे किसी की पेंशन बंधवानी है नाले की सफाई या सड़क निर्माण एवं अन्य कार्यों को करवाने के लिए अधिकारियों के पास जाती हैं तो अधिकारी लोग आसानी से उनकी सुनते ही नहीं हैं एवं समय से काम करके भी नहीं देते।

महिला प्रतिनिधियों से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्नों को पूछा गया कि क्या वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाती हैं तो 36.7% महिला प्रतिनिधियों का कहना था कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती यहाँ तक की कार्य की व्यस्तता में वे अपने खाने पीने का ही ध्यान नहीं रख पाती ।

महिला प्रतिनिधियों से जब पूछा गया की क्या वे किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो 10% महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि वे बीमारी से ग्रसित हैं परन्तु जब उन्हें यह पूछा गया कि क्या उनकी बीमारी के कारण उन्हें कार्य करने में समस्या होती है तो उनका कहना था कि यह तो हमारा कार्य है एवं इसे करने में कैसी भी समस्या हो सामंजस्य तो बिठाना पडता है । इसीलिए उन्हें कार्य करने में समस्या नहीं होती परन्तु 6.7% महिला प्रतिनिधि स्पष्ट रुप से स्वीकार करती हैं कि उनकी स्वास्थ्य संबधी समस्या उनके आधिकारिक कार्यों को प्रभावित करती है एवं इसके कारण उन्हें कार्य करने में समस्या होती है ।

क्षेत्र अध्ययन के द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों की निम्नलिखित समस्याए उभरकर सामने आती हैं :-

समाज की पित्रसत्तात्मक संरचना अथवा पुरुष प्रधान समाज जिसमें महिलाओं को स्थानीय स्वशासन की राजनीति में आने का अवसर नहीं दिया जाता, परन्तु जब विधिक रूप से महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में आने का प्रावधान किया गया तो, महिलाओं को सिर्फ नाम के लिए इस क्षेत्र में आने का अवसर तो दिया गया परन्तु उन्हें उनके आधिकारिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं दी गयी ।

महिला प्रतिनिधियों का शैक्षणिक स्तर भी उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करता है ।

महिलाओं की व्यस्त पारिवारिक दिनचर्या भी महिला प्रतिनिधियों की समस्या है ।

महिला प्रतिनिधियों के पार्षद पद संबंधी कार्य उनके पति परिवार के सदस्यों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाना नगरीय स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों की प्रमुख समस्या के रूप में परिलक्षित हुआ है ।

पार्षद पद के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाना भी महिला प्रतिनिधियों के लिए नगरीय स्थानीय स्वशासन में एक समस्या है। हालांकि जब 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 74 वां संशोधन लागू किया तब इस पद के लिए प्रशिक्षण दिया गया था ।

महिलाओं का प्रारंभ से ही अपने हर छोटे बड़े कार्य के लिए परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना भी महिला प्रतिनिधियों के लिए समस्या है ।

महिलाओं में राजनीतिक ज्ञान एवं अभिरुची का अभाव स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों की समस्या है क्योंकि इसके कारण वे स्वयं पार्षद पद के महत्त्व को नहीं समझ पाती हैं ।

महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी भी स्थानीय स्वशासन की राजनीति में महिला प्रतिनिधियों की समस्या है ।

महिला प्रतिनिधियों के साथ कार्यस्थल पर होने वाला भेदभाव दुर्व्यवहार एवम टीका - टिप्पणी भी नगरीय स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों की एक समस्या है ।

चक्रानुक्रम से आरक्षित स्थान भी समस्या के रूप में सामने आया है ।

सुझाव

क्षेत्र अध्ययन के दौरान महिला प्रतिनिधियों के घर एवं राजनीतिक कार्यों में सामंजस्य बिठाने में जो समस्याएं निकलकर सामने आयी, उनके लिए निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं :-

प्रतिनिधियों को पार्षद पद के लिए चयनित होने के साथ ही प्रशिक्षित भी किया जाये एवं पार्षद पद सम्बन्धी अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान दिया जाये । जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी एवं अपने पद के महत्त्व को समझने के साथ - साथ आधिकारिक एवं क्षेत्र संबंधी कार्य स्वयं करने की इच्छा शक्ति जाग्रत होगी ।

महिला पार्षद के पति अथवा परिवार के वे अन्य सदस्य जो इस क्षेत्र में कार्य कर चुके है आवश्यकता पड़ने पर अपने अनुभव महिला प्रतिनिधियों से साझा करें परन्तु उनके आधिकारिक कार्य उन्हें स्वतंत्र रूप से करने दें।

महिला प्रतिनिधियों को परिवार के सदस्यों द्वारा पारिवारिक कार्यों में सहयोग दिया जाये जिससे वे अपने पार्षद पद सम्बंधी कार्य तनाव मुक्त होकर कर सकें ।

महिलाओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के प्रयास किये जाए जिससे महिला प्रतिनिधियों का शैक्षणिक स्तर उनके कार्यों में समस्या उत्त्पन ना करे ।

महिला प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाये जिससे वे पूर्णतः स्वस्थ्य रहकर अपने कार्यों पर ध्यान दे सकें ।

महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रमानुसार आवंटित ना करते हुए एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम दो निर्वाचन अवधि तक आरक्षित रहे । जिससे महिला प्रतिनिधि अपने पार्षद पद के आधिकारिक

एवं क्षेत्र संबंधी कार्यों का अनुभव प्राप्त कर सकें एवं अपने कार्यों को करने के लिए आत्मनिर्भर बन सके; क्योंकि प्रथम बार में तो महिला प्रतिनिधि इस पद का अनुभव लेकर पद के उत्तरदायित्वों एवं कार्यों को निर्वहन करने की प्रक्रिया को समझ भी नहीं पाती तब तक अगले निर्वाचन का समय आ जाता है एवं फिर से क्षेत्र में कोई पुरुष प्रतिनिधि सत्ता में आ जाता है एवं महिला प्रतिनिधि पदमुक्त हो जाती हैं ।

महिला प्रतिनिधियों के साथ कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव दुर्व्यवहार एवं टीका-टिप्पणी को समाप्त करने के लिये यथोचित विधि का निर्माण किया जाये । जिससे यदि महिला प्रतिनिधि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का अनुभव करती हैं तो वो इस विधि के निर्माण के पश्चात कार्यस्थल एवं क्षेत्र में भी स्वयं को सामान्य एवं सुरक्षित अनुभव कर सकें ।